/जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर की 21 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) का कार्यवृत्त।

मद संख्या–01 :–

अमृत उपयोजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही रूद्रपुर एवं काशीपुर महायोजना–2041 प्रारूप को पुनरीक्षित करने के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक–31.01.2023 में रूद्रपुर एवं काशीपुर महायोजना–2041 (ड्राफ्ट) का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, देहरादून द्वारा सम्बंधित फर्म के प्रतिनिधियों के साथ किया गया था। बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्तुतीकरण का अवलोकन एवं उक्त पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया (संलग्नक–01) :–

"बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त काशीपुर/रूद्रपुर महायोजना–2041 (प्रारूप) को उपरोक्तानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दिये गये सुझावों के साथ सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (संशोधन–2013) के अंतर्गत महायोजना पर जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्ति हेतु प्रदर्शनी आयोजन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये। महायोजना प्रारूप का व्यापक प्रचार प्रसार आगामी सप्ताह से कर लिया जाये तथा एक माह की महायोजना प्रर्दशनी का आयोजन कम से कम तीन स्थलो पर किया जाये। उक्त व्यवस्था नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सहयोग से किये जाने के भी निर्देश दिये गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए उनके भी सुझाव आदि महायोजना प्रारूप मे समायोजित किये जाये।"

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा रूद्रपुर महायोजना 2041(ड्राफ्ट), पर आमजन से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक–23.02.2023 को करवाया गया व दिनांक–01.03.2023 से 31.03.2023 तक रूद्रपुर व काशीपुर में विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शनी लगायी गयी थी। नियत अवधि अन्तर्गत रूद्रपुर में कुल 166 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए तथा काशीपुर में 758 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–02 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–HOUS2-MS/1/22/2023-V-2-Aawas Department दिनांक–23.02.2023 (संलग्नक–02) द्वारा शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक–03.05.2023 से 04.05.2023 तक कलैक्ट्रेट ऊधमसिंह नगर परिसर स्थित ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम कान्फ्रेन्स हॉल रूद्रपुर एवं दिनांक–05.06.2023 से 07.06.2023 तक नगर निगम, काशीपुर स्थित मीटिंग हॉल में विस्तृत सुनवाई की गयी व सम्बंधित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। अध्यक्ष आपत्ति/सुझाव समिति द्वारा जनहित एवं स्थानीय स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कुल आपत्ति/सुझावों के कम में, रूद्रपुर एवं काशीपुर महायोजना 2041(ड्राफ्ट), में कतिपय भू–उपयोग को संशोधित किये जाने का निर्णय लेते हुए सुझावों एवं आपत्तियों के समावेश रूद्रपुर एवं काशीपुर महायोजना 2041(ड्राफ्ट), में सम्मिलित करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इस कार्यालय के पत्र संख्या–121/USN-0073/2022 दिनांक–11.08.2023 (संलग्नक–03) के द्वारा सुझावों को जनहित एवं स्थानीय स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में रूद्रपुर महायोजना (प्रारूप) 2041 में कतिपय भू–उपयोग को संशोधित किये जाने हेतु सूचित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त रूद्रपुर महायोजना के सम्बंध में स्थानीय विधायक श्री शिव अरोरा जी द्वारा एक पत्र दिनांक–05.06.2024 (संलग्नक–04) प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि *" महायोजना 2041 तैयार करते समय जनप्रतिनिधियो व स्टेकहोल्डर की पूर्ण सहभागिता नही रह पायी जिस कारण से भविष्य के विकास की दृष्टि से प्रस्तावित मास्टरप्लान में संशोधन की आवश्यकता है एवं पुनः स्टेकहोल्डर के साथ संवाद करने की आवश्यकता है ताकि मास्टरप्लान क्षेत्र के विकास की दृष्टिकोण एवं भविष्य की आवश्यक्ताओं के हिसाब से बन सके।*

रूद्रपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है, शहर के चारों तरफ रु 1051 करोड़ की लागत से लगभग 21 कि०मी० का रिंग रोड बनने का कार्य प्रगति पर है। रिंग रोड के बनने से रूद्रपुर की भौगोलिक स्थिति व विकास की संभावनाओ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। रूद्रपुर के विस्तार दृष्टि से रूद्रपुर

के चारों ओर का मास्टरप्लान बनाते समय शहर का विस्तार चारो तरफ बनने वाली रिंग रोड के दृष्टिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, शिक्षण संस्थान, व्यवसायिक, कृषि आदि क्षेत्र को भविष्य में शहर के विकास की सम्भावनाओ के आधार पर संतुलित तरीके से किया जाना आवश्यक है।

उक्त के कम में प्राधिकरण के पत्र संख्या–287 / यू.एस.एन.–0244 / 2024 दिनांक–23.12.2024 (संलग्नक–05) द्वारा अनु सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को उपरोक्त स्थितियों, मा0 विधायक रूद्रपुर के सुझाव के कम में सन्दर्भित किया गया है। साथ ही दिनांक– 31.01.2025 को जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त (संलग्नक–06) के बिन्दु संख्या–06 में भी उक्त निर्माणाधीन महायोजनाओं के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया तथा महायोजना प्रारूप में त्रुटियों के निराकरण की आवश्यकता बतायी गयी, जिसकी प्रति शासन, आयुक्त महोदय व अन्य सम्बंधित विभागों को पत्र संख्या–02 / जि0वि0प्रा0 / 2025–26 दिनांक–01.04.2025 (संलग्नक–07) के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

मा0 विधायक रूद्रपुर के सुझाव एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्तुतीकरण के आधार पर दोनों निर्माणाधीन महायोजना प्रारूप के प्रस्ताव को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर की 18वीं बोर्ड बैठक दिनांक–13.06.2024 के बिन्दु संख्या–18.04 व 18.05 में बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, (संलग्नक–08) जिसमें बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों महायोजनाओं को पुनः जनप्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझाव तथा जिला विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुए एवं वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः संशोधित महायोजना प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उक्त के सम्बंध में दिनांक–05.08.2025 को उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर की अध्यक्षता में बैठक की गयी, जिसमें निम्न निर्णय लिये गये (संलग्नक–09) :–

इस कार्यालय के पत्र संख्या–303 / यू0एस0एन0–0279 / 2025, दिनांक–02.08.2025 द्वारा उपाध्यक्ष महोदय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर की अध्यक्षता में दिनांक–05.08.2025 को रूद्रपुर व काशीपुर (प्रारूप)–2041 के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्राधिकरण कार्यालय के पत्र संख्या–129 / जि0वि0प्रा0 / 2025–26, दिनांक–15.05.2025 द्वारा रूद्रपुर व काशीपुर महायोजना–2041 प्रारूप में विचलन का स्थलीय परीक्षण प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं सम्बन्धित कन्सलटेन्ट की टीम द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। उक्त गठित समिति द्वारा दोनो महायोजना में दिखाये गये भू उपयोग को आंशिक रूप से स्थल पर जाकर निरीक्षण आख्या जिसमें रूद्रपुर महायोजना–2041 प्रारूप के 20 बिन्दु व काशीपुर महायोजना–2041 प्रारूप के 37 बिन्दु पर आख्या प्रस्तुत की गई, उक्त बिन्दुओं पर चर्चा की गई, जिसमें निम्नलिखित संशोधन हेतु सुझाव दिये गये–

1. गठित समिति के निरीक्षण आख्या से स्पष्ट है कि रूद्रपुर व काशीपुर महायोजना–2041 प्रारूप में भू उपयोग समय के साथ काफी परिवर्तित हो गयी है (निरीक्षण आख्या संलग्न)।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वार्ता कर सहमति व्यक्त की गई कि सम्बन्धित फर्म मै0 टेक मेक इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 के समन्वय स्थापित करते हुये रूद्रपुर व काशीपुर महायोजना 2041 प्रारूप को स्थल अनुसार भू उपयोग निर्धारित करते हुये पुनः प्रारूपों को व्यावहारिक रूप स तैयार कर प्रस्तुत करते हुये विचार किया जाये।
3. पूर्व में निर्धारित भू उपयोग को नवीन रूप से विचार कर महायोजना प्रारूप तैयार किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड अथवा परिचालन के माध्यम से सहमति प्राप्त किया जाये । जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बोर्ड की सहमति के उपरांत अग्रेत्तर कार्यवाही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जायेगी। संशोधित प्रारूप तैयार किये जाने की अवधि अन्तर्गत प्रत्येक 03 दिवस के अन्दर प्राधिकरण व नगर नियोजन विभाग से सर्वे रिपोर्ट का परीक्षण मै0 टेक मेक द्वारा कराया जाना आवश्यक होगा तथा महायोजना प्रारूप अधिकतम 03 माह के अन्तर्गत पूर्ण किया जाये।

4. प्रत्येक सोमवार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर कार्यालय में कार्य प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

अतः मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों, वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का संज्ञान लेते हुए पुनः भू–उपयोग पुनरीक्षण की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में रूद्रपुर एवं काशीपुर महायोजना 2041 (प्रारूप) में पुनः भू–उपयोग पुनरीक्षण की कार्यवाही करते हुए पुनः आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की सहमति दी जाती है। आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
देहरादून।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रतिनिधि सचिव वित्त

सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

Bhupinder, JS
for
सचिव,
आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

नगर आयुक्त,
नगर निगम रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर

नगर आयुक्त,
नगर निगम काशीपुर,
ऊधमसिंह नगर

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर

17/10/25
अध्यक्ष/आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल,
नैनीताल।